दिनांक 02.08.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/ आयुक्त के0एल0 चौहान के निर्देश पर वार्ड 18 के शंकर नगर तालाब पार में सतीश साव द्वारा निगम की भूमि पर अवैध कब्जाकर बनाये गये झोपड़ी नुमा मकान को निगम के तोड़फोड़ दस्ता तथा जोन 02 के राजस्व अमला ने ढ़हा दिया।

गत् दिनों निगम आयुक्त श्री चौहान द्वारा वार्ड 18 शास्त्री नगर में किये गये वृक्षारोपण के दौरान वार्डवासियों ने इस बात की शिकायत की थी कि शंकर पारा तालाब के पार में निगम की भूमि जो आंगनबाड़ी के लिए आरक्षित रखी गई है जिसपर सतीश साव नामक व्यक्ति द्वारा लगभग 800 स्क्वेयर फीट रिक्त भूमि पर झोपड़ी बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। प्राप्त शिकायत पर आयुक्त ने जोन–02 के सहायक राजस्व निरीक्षक विनोद चन्द्राकर एवं तोड़फोड़ दस्ता के प्रभारी यतीन्द्र नाथ देवांगन को उक्त कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये थे, जिसपर अमल करते हुए बुधवार को राजस्व एवं तोड़फोड़ अमला ने शंकर पारा पहुंचकर भूमि पर निर्मित सीमेंट युक्त दीवाल बनाकर सीट लगाकर किये गये झोपड़ीनुमा निर्माण को ढ़हा दिया, और सतीश साव को सक्त हिदायत दी गई कि पुनः उक्त भूमि पर यदि कब्जे का प्रयास किया गया तो आपके विरुद्ध नगर पालिक अधिनियम की धाराओं के तहत् सक्त कार्यवाही किया जायेगा। ज्ञात हो कि सतीश साव द्वारा पूर्व में भी उक्त भूमि पर अवैध कब्जाकर मकान निर्माण किया गया था जिसे निगम द्वारा हटा दिया गया था।

तोड़फोड़ कार्यवाही के दौरान विनोद चन्द्राकर, यतीन्द्र नाथ देवांगन, एस.एन. कौशिक, अंजनी सिंह, एच.एन. भट्ठी, गुप्तानंद तिवारी सहित तोड़फोड़ दस्ता तथा जोन–02 का राजस्व अमला उपस्थित था।

जनसम्पर्क अधिकारी